UPJL010027162026

Presented on : 20-05-2026
Registered on : 20-05-2026
Decided on : 19-06-2026
Duration : 0 years, 0 months, 30 days

IN THE COURT OF
Spl. Judge SC/ST Act
AT ,Jalaun
(Presided Over by SRI SURESH KUMAR GUPTA)

Bail Application/200084/2026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), जालौन स्थान उरई।

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–84/2026

1. श्रीमती विनीता पाण्डेय उम्र 52वर्ष पत्नी भूधर पाण्डेय निवासी मुहल्ला राजेन्द्र नगर उरई जिला जालौन। ....(आवेदिका/अभियुक्ता)

बनाम

1. सरकार उत्तर प्रदेश .... (लोक अभियोजक)

मुकदमा अपराध संख्या 153/2025
धारा–352, 351(2), बी0एन0एस0
धारा 3(1)(द)(ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
थाना आटा, जिला जालौन।

दिनांक–19.06.2026

निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

आवेदिका/अभियुक्ता श्रीमती विनीता पाण्डेय उम्र 52वर्ष पत्नी भूधर पाण्डेय निवासी मुहल्ला राजेन्द्र नगर उरई जिला जालौन की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 153/2025 धारा–352, 351(2), बी0एन0एस0 व धारा 3(1)(द)(ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना आटा जिला जालौन के प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम जमानत आदेश दिनांकित 12.06.2026 के अनुपालन में आत्मसमपर्ण करते हुए जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है। अभियुक्त आज की तिथि तक अंतरिम जमानत पर हैं।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा भद्रसेन द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 09.09.2025 को समय 7 बजे वह उरई से अपने गांव चमारी वापस लौट रहा था चमारी सम्पर्क मार्ग पर रेलवे लाइन की पुलिया के पास गौशाला के ट्रैक्टर आयसर के चालक ने तेजी व लापरवाही से ट्रैक्टर को चलाते हुए पीछे से उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। मोटर साईकिल पर बैठे गांव के रवि ने 100 नम्बर पर काल किया, मौके पर पुलिस आ गयी। गौशाला की संचालिका विनीता पाण्डेय से शिकायत करने पर उसने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। उक्त तहरीर के आधार पर गौशाला की संचालिका विनीता पाण्डेय व चालक अज्ञात के विरूद्ध उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा विवेचना उपरान्त आवेदिका/अभियुक्ता गौशाला की संचालिका विनीता पाण्डेय एवं चालक जितेन्द्र कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र उपरोक्त धाराओं के तहत न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है।

जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्यतः यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। वह पूर्णतः निर्दोष हैं, उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह गौशाला की संचालिका है तथा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है और न ही किसी प्रकार की कोई चोट

Digitally signed by Suresh Kumar Gupta
Date: 2026.06.30 07:47:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आयी है। चालक ट्रैक्टर की ट्राली में चारा भरकर आ रहा था और वादी को साईड नहीं दे सका जिस कारण वादी ने चालक के साथ मारपीट की जिसकी शिकायत करने पर झूंठे आधारों पर मुकदमा पंजीकृत करा दिया। प्रार्थिनी का कोई भी पूर्व आपराधिक इतिहास कतई नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि उक्त प्रकरण में लगायी गयी समस्त धारायें 7 वर्ष से कम अवधि के दण्ड से दण्डित करने का प्रावधान है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सतेन्द्र कुमार अण्टिल बनाम व्यूरों आफ इन्वेस्टीगेशन में पारित दिशा निर्देश के आधार पर प्रार्थीगण जमानत पाने का अधिकारी है। अतः दौरान मुकदमा प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

मैंने जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्ता के चालक पर तेजी व लापरवाही से ट्रैक्टर को चलाते हुए वादी की मोटर साईकिल में टक्कर मारने तथा अभियुक्ता व चालक पर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने व जाति सूचक यशब्दों से आपमानति करने का आरोप है। धारा 3(1)(द)(ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट को छोड़कर शेष सभी धाराएं प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय हैं। अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए तथा प्रकरण के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, इस स्तर पर उसे सशर्त जमानत दिये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तदनुसार अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका/अभियुक्ता श्रीमती विनीता पाण्डेय उम्र 52वर्ष पत्नी भूधर पाण्डेय निवासी मुहल्ला राजेन्द्र नगर उरई जिला जालौन की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 153/2025 धारा–352, 351(2), बी0एन0एस0 व धारा 3(1)(द)(ध) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना आटा जिला जालौन के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्ता को उसके द्वारा मुव0 50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) की धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर उसे निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाता है कि :–

1– अभियुक्ता द्वारा वादी मुकदमा व अभियोजन साक्षियों को डराया या धमकाया नहीं जायेगा और न ही अभियोजन साक्ष्यों के साथ कोई छेड़–छाड़ करेगी।

2–न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी और विचारण में सहयोग प्रदान करेगी।

दिनांकः–19.06.2026

(सुरेश कुमार गुप्ता)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)
जालौन स्थान उरई।
जे0ओ0कोड–यू0पी0–2414,